

# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-४६२०३३

फोन : ०७५५-२७३४६९३, २६७८८६७

फैक्स : ०७५५-२७४२००६

ईपीएबीएस : ०७५५-२६७८८६९, २६७८८८९

ईमेल : [registrarrgpv@gmail.com](mailto:registrarrgpv@gmail.com), [ooregistrar@rgpv.ac.in](mailto:ooregistrar@rgpv.ac.in)

वेबसाईट : [www.rgpv.ac.in](http://www.rgpv.ac.in)



RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA

(State Technological University of Madhya Pradesh)

Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 462033

Phone : 0755 - 2734913, 2678897

Fax: 0755 - 2742006

EPABX: 0755 - 2678891, 2678881

mail : [registrarrgpv@gmail.com](mailto:registrarrgpv@gmail.com), [ooregistrar@rgpv.ac.in](mailto:ooregistrar@rgpv.ac.in)

Website : [www.rgpv.ac.in](http://www.rgpv.ac.in)

क्रमांक:एफ-5/शैक्षणिक/रागांप्रौवि/2024/375

दिनांक: 13/6/2024

## अधिसूचना


विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 73वीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 2024 के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक 04/73 के अन्तर्गत एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की संबद्धता शैक्षणिक सत्र 2023-2024 तक के लिये मान्य होगी, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 125/67/सी.सी./22/38 दिनांक 16/02/2024 के अनुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101वीं बैठक में पारित प्रस्ताव क्रमांक 20 के अनुपालन में सत्र 2024-2025 से एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की संबद्धता प्रदान नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई। तथा एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में पूर्व से प्रवेशित छात्रों के लिये पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक संबंधित महाविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध रह सकेंगे की अनुशंसा की गई है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 116वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2024 के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक 02/116 में विद्वत परिषद की 73वीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101वीं बैठक में पारित प्रस्ताव क्रमांक 20 के अनुपालन में सत्र 2024-2025 से एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की संबद्धता राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा प्रदान नहीं की जावेगी तथा पूर्व से संबद्ध महाविद्यालयों की संबद्धता शैक्षणिक सत्र 2023-2024 तक मान्य रहेगी एवं पूर्व से एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु संबद्ध महाविद्यालयों के पूर्व से प्रवेशित छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक संबंधित महाविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध रह सकेंगे।

यह निर्णय उपरोक्तानुसार लागू किया जाता है।

(माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन अनुसार)


  
13/6/24  
कुलसचिव

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
भोपाल।

पृष्ठांकन क्रमांक:एफ-5/शैक्षणिक/रागांप्रौवि/2024/376  
प्रतिलिपि

दिनांक: 13/6/2024

01. निज सचिव माननीय कुलपति जी, रा.गा.प्रौ.वि., भोपाल, कृपया कुलपति जी को अवगत कराना चाहें।
02. निज सचिव कुलसचिव महोदय जी रा.गा.प्रौ.वि., भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राज भवन, भोपाल।
04. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
05. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
06. आयुक्त, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
07. आयुक्त, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
08. रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल से संबद्ध समस्त महाविद्यालय।
09. संचालक, समस्त यूआईटी, रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल।
10. संचालक, समस्त यूटीडी, रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल।
11. समस्त स्वशासी महाविद्यालय रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल।
12. नियंत्रक (परीक्षा), रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल।
13. नियंत्रक (वित्त), रा.गा.प्रौ.वि, भोपाल।

  
13/6/24  
कुलसचिव

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
भोपाल।